


क्रमांक .....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन

हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

वर्ष 2021-2024



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024

दूरभाष – 0755-2481995

फैक्स नम्बर – 0755-2450896

E- mail : [sanchi.bhopal@gmail.com](mailto:sanchi.bhopal@gmail.com)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल  
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर संचालन का कार्य आवंटन हेतु  
द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	03.07.2021 दोपहर 01.00 बजे तक
2	निविदा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	05.07.2021 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	05.07.2021 अपरान्ह 03:00 बजे बोर्ड मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	रू. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से
5	पार्लर संचालन कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताएं" का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	पार्लर संचालन की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	"भाव पत्र/दरें" प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 04

तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- धरोहर राशि (EMD) की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफे में रखें, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 "आवश्यक अर्हताएं", प्रपत्र क्रमांक 2 "निविदा की शर्तें" तथा प्रपत्र क्रमांक 3 "पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र" एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा "B"— प्रपत्र क्रमांक 1 "तकनीकी अर्हताएं", प्रपत्र क्रमांक 2 "निविदा की शर्तें" तथा प्रपत्र क्रमांक 3 "पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र" निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- उक्त दोनों "A" एवं "B" बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 05.07.2021 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। पहले "आवश्यक अर्हताएं" तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। आवश्यक अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 4 सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत की जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त "दरों" को निरस्त समझा जावेगा।

प्रति,

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के फ़ैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक .....  
.... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रु.100,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की भौतिक रसीद क्रमांक .....दिनांक ..... संलग्न कर रहा हूँ।

**आवश्यक अर्हताएं**

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का जी. एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें।
5.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की आयकर विवरणी CA (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6.	वैध FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा। (खुदरा विक्रय हेतु निर्धारित)		वैध FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई. एम.डी. राशि रु.100000/- (एक लाख रूपये) की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.100000/- (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें।
8.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत रु. 100 के स्टॉम्प		निविदा पत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरीज्ड करा कर संलग्न करें।

	पेपर पर शपथ पत्र)		
9	निविदाकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 'ब' अनुसार संलग्न करें।
10	निविदाकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		निविदा पत्र के परिशिष्ट 'स' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
11	(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी रिटेलर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी रिटेलर कार्य के अनुभव संबंधी रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
12	वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/ वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम :- \_\_\_\_\_  
पता :- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

टेलीफोन नं. \_\_\_\_\_  
मोबाईल नं \_\_\_\_\_

## फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु सामान्य शर्तें

1. निविदा के साथ निविदाकर्ता/कम्पनी/फर्म के डायरेक्टर का स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकर्ता को रूपये एक-एक लाख के दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक होगा।
3. निविदाकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को निविदा के साथ संबंधित थाने से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट/जी.एस.टी नंबर/पैन नंबर/ FSSAI लायसेंस नंबर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. जमानतदार जमानत देने पर यदि एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है, तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा परन्तु जमानतदार की संपत्ति संबंधी ब्यौरा का उल्लेख भी होना आवश्यक है ताकि वसूली सुनिश्चित की जा सके।
5. आवंटन की दशा में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रू.1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य है।
6. अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।
7. अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले एक से अधिक निविदाकर्ता द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता का चयन लॉटरी प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
8. निविदा स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु कार्य संतोषप्रद होने व आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
9. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं (ई.एम.डी.) भी राजसात की जा सकेगी।
10. निविदाकार को निविदा के साथ रू.100,000/- (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
11. निविदाकर्ता का चयन होने पर रू.500000/- (पांच लाख रूपये मात्र) प्रतिभूति राशि के रूप में संघ कार्यालय में एक मुश्त जमा करनी होगी। जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. मिल्क पार्लर का आवंटन होने के एक माह पश्चात् यदि एजेन्ट उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा एजेन्टशिप निरस्त की जाती है तो रू.500000/- (पांच लाख रूपये मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व उसे संघ से बकाया लेनदेन क्रेट आदि के समायोजन पश्चात् नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर रिफण्ड किया जाएगा।
13. निविदा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किराया राशि स्वीकृत होने पर वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष अग्रिम जमा करना है। किराया राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के साथ जमा करना अनिवार्य होगी।
14. विद्युत/पानी/डीप फ्रीज एवं अन्य व्यय का भुगतान एजेन्ट द्वारा किया जावेगा।
15. अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

16. संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः फ़ैक्ट्री गेट पार्लर संचालक का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से देना होगी एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को विक्रय करना होंगे।
17. पार्लर का रख-रखाव/उपभोक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था, टेबल कुर्सियां, कम से कम 05 डीपफ्रीजर उत्पादों के भण्डारण हेतु व्यवस्था संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी।
18. निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
19. फ़ैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर से संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के ही विक्रय करने की अनुमति दी जाती है इसके अतिरिक्त एजेन्ट द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो संघ द्वारा जो भी एजेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन एजेन्ट को करना है। एजेन्ट द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता एजेन्ट द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।
20. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य न होने के संबंध में निविदाकर्ता को निर्धारित परिशिष्ट "अ" पर संलग्न प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
21. आवेदक को निविदा के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट "ब" पर संलग्न प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।
22. आवेदक को निविदा के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट "स" पर संलग्न प्रारूप अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
23. फ़ैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट को दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल निर्धारित (MRP) मूल्यों पर ही विक्रय करेगा। दूध का प्रदाय उक्त मार्ग के वितरक सह-परिवहनकर्ता के द्वारा रिटेलर दर पर किया जावेगा।
24. दुग्ध संघ द्वारा फ़ैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर मासिक रूप से दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना फ़ैक्ट्री गेट पार्लर एजेन्ट को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।
25. पार्लर संचालक के कार्य की समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
26. संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) पर ही दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय किया जाना है यदि संघ द्वारा एजेन्ट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दुग्ध पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाने पर संघ द्वारा राशि रु.5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन एजेन्ट को करना होगा। उक्त कार्य की पुर्नरावृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

27. यदि कोई ऐसी निविदा प्राप्त होगी जिसका संघ में कोई रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो ऐसी निविदा को संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
28. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही ऐसी निविदा को निरस्त समझा जाएगा।
29. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
30. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना एवं नेम बैज लगाना अनिवार्य है।
31. फेक्ट्री गेट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
32. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
33. वर्तमान में जिन पार्टियों/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता के विरुद्ध दुग्ध संघ का **किसी भी प्रकार का** प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो अथवा आर्थिक अनियमितता संबंधी प्रकरण हो ऐसे आवेदक निविदा करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा।
34. वर्तमान में दुग्ध संघ से वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस ई-निविदा में भाग लेने हेतु भोपाल दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
35. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगा।
36. संघ द्वारा निर्धारित फेक्ट्री गेट पार्लर आवंटन की समान शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
37. इस निविदा से संबंधित यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो केवल निविदा की ऑनलाईन वेबसाइट एवं एमपीसीडीएफ की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा अन्य किसी और भी माध्यम पर प्रकाशित नहीं होगा।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की समान्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य है। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**


नाम:-

मोबइल नं

**Seal**

फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदाकर्ता का नाम :- \_\_\_\_\_
2. पिता/पति का नाम :- \_\_\_\_\_
3. शैक्षणिक योग्यता :- \_\_\_\_\_
4. स्थाई पता :- \_\_\_\_\_  
(दूरभाष/मोबाइल नं. के साथ)
5. पत्र व्यवहार का पता :- \_\_\_\_\_  
(दूरभाष/मोबाइल नं. के साथ)
6. वर्तमान व्यवसाय/कार्य :- \_\_\_\_\_  
व्यवसाय पिता का या स्वयं का \_\_\_\_\_  
व्यवसाय स्थान का पता (दूरभाष नं. सहित) \_\_\_\_\_
7. वित्तीय स्थिति :-  
- वर्तमान व्यवसाय की लागत \_\_\_\_\_  
- वर्तमान व्यवसाय की आय \_\_\_\_\_  
- चल/अचल संपत्ति का विवरण \_\_\_\_\_  
- मिल्क पार्लर हेतु लगाई जाने वाली पूँजी \_\_\_\_\_
8. एफएमसीजी उत्पाद उपभोक्ता को विक्रय करने के रिटेल व्यवसाय का अनुभव :- (न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, रिटेल व्यवसाय के अनुभव संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें एवं 10 वर्ष का अनुभव होने का शपथ पत्र रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करें।  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. आर्थिक अपराध संबंधी न्यायालयीन प्रकरण लंबित तो नहीं है। हाँ / नहीं
10. (अ) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय मासिक आय :-  
\_\_\_\_\_  
(ब) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय मासिक आय :-  
\_\_\_\_\_



नोट :- एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक है।

मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता का नाम

नाम \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_



दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का  
शपथ पत्र का प्रारूप  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम — .....  
पिता — .....  
आयु — .....  
निवासी — .....

01— भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा फैक्ट्री गेट पार्लर संचालक की नियुक्ति हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित फ़ैक्ट्री गेट पार्लर संचालन निविदा प्रक्रिया में मेरे द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित फैक्ट्री गेट पार्लर संचालन निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के साथ ..... के रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक ..... तक की स्थिती में उक्त सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## वित्तीय बिड

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी निविदा में फैक्ट्री गेट पार्लर संचालित करने के लिए मैं निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के फैक्ट्री गेट पार्लर के संचालन हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रु. (कर अतिरिक्त)
अंकों में	रु .....
शब्दों में	रु..... .....

नोट :-

- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकार तदानुसार दर प्रस्तुत करें।
- वार्षिक किराया राशि केवल ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त "दरों" को निरस्त समझा जावेगा।

निविदाकर्ता का नाम

नाम \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

## फैक्ट्री गेट मिल्क पार्लर हेतु अनुबंध-प्रपत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री..... आत्मज श्री ....., आयु-..... निवासी-..... (म0प्र0) (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक .....को निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष को निविदा पर **फैक्ट्री गेट पार्लर** से सॉची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता है।
2. यह आवंटन पूर्णतः अस्थाई है। उभय पक्षों द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा (यदि पूर्व में नया पता सूचित नहीं किया गया है तो इस पर भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा)। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
3. **पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। **दुग्ध संघ द्वारा पार्लर एजेन्ट का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।**
4. द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित किराया राशि प्रतिवर्ष अग्रिम जमा की जाएगी। किराया राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। जिसे जमा करना अनिवार्य होगा। समयसीमा में किराया राशि जमा नहीं करने पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन 30 दिवस का अग्रिम नोटिस देकर निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को 10 दिवस में पार्लर का कब्जा प्रथम पक्ष को देना होगा। ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि पार्लर पर कब्जा कर ले जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
7. **प्रथम पक्ष के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ 02 से 07 दिवस तक होती है अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम देवें एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे।**
8. यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय को होगा।
9. समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल ही होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त पार्लर हेतु रुपये 500000/- (पांच लाख रुपये मात्र) बतौर प्रतिभूति/सुरक्षा निधि प्रथम पक्ष के पास जमा कराएगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. यह कि भविष्य में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
12. यह कि प्रतिभूति/सुरक्षा निधि से पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
13. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियों की रुपये ..... प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा (जिसमें एक सरकारी कर्मचारि होना अनिवार्य है) तथा उक्त जमानतनाम भी इस इकरारनाम के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक

- रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
14. यह कि भविष्य में प्रतिभूति/सुरक्षा निधि वापसी का निविदा नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय पक्ष को यह राशि वापस की जाएगी।
  15. द्वितीय पक्ष को आवंटित पार्लर को दुग्ध संघ द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रखकर संचालन करना अनिवार्य होगा।
  16. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित, दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।
  17. सॉची पार्लर एजेन्ट अपने यहाँ किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साइनबोर्ड प्रदर्शित करेंगे, सॉची दूध व दूध पदार्थों का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। पार्लर पर भोपाल दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित ब्राण्डिंग ही की जाएगी। **उल्लंघन किये जाने पर कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।**
  18. उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुंच सेवा चाहता है जिस हेतु वह सेवा राशि देता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुंच सेवा के लिय बाध्य होगा। घर पहुंच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष पार्लर आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
  19. यह कि मिल्क पार्लर पर प्रथम पक्ष दुग्ध संघ का स्वामित्व है, द्वितीय पक्ष को यह पार्लर हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने सॉची पार्लर को दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।
  20. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
  21. यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान 4 डिग्री रखकर सॉची दूध व दूध पदार्थ का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
  22. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। अर्थात् तम्बाखू, मादक पदार्थ एवं अन्य कंपनी के दूध या दूध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने पर रूपये 50000/- अर्थदण्ड लगाया जाएगा व पार्लर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
  23. यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
  24. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस पार्लर/बूथ का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे तथा वर्ष में कम से कम दो बार पार्लर की पेंटिंग एवं पुताई कराना अनिवार्य होगा।
  25. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दुग्ध/दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, अग्रिम राशि जमा कराई जाएगी या दुग्ध संघ धनादेश के माध्यम से राशि प्राप्त करेगा।
  26. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पाद की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से अग्रिम जमा करेगा, साथ ही संघ में रेखांकित एवं हस्ताक्षरित (दुग्ध संघ के हित में) चेक बुक देगा। आवश्यकता पड़ने पर धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।
  - A- धनादेश के अनादरित होने पर रु.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु.1000/- के मान से वसूली जावेगी। रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रु.2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

- B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु.2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
- C- यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ-साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रु.3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु.6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
27. द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ-साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
28. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
29. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल (एम.आर.पी.) (मैक्सिमम रिटेल प्राइज) पर विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
30. सॉची पार्लर अपने यहाँ सॉची दूध एवं दूध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे। पार्लर के अंदर भी सॉची दूध व दूध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो संबंधित पार्लर/बूथ संचालक को वह रखने एवं विक्रय करना अनिवार्य होगा।
31. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि को पूर्ण रूपया भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई किसी भी तरह की हेरा फेरी या इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा। तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
32. विक्रय एजेंट द्वारा दुग्ध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि नकदी के रूप में शाखा के किसी भी कर्मचारी को नगदी में न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि दी जाती है, तो उसकी प्राप्ति आवश्यक ली जावे।
33. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा माल की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
34. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सॉची पार्लर खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु बाध्य रहेगा।
35. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल उपलब्ध कराये एवं केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।
36. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्स, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।



37. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा। दुग्ध संघ (प्रथम पक्षकार) द्वारा की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक मीटिंग में उपस्थित होकर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा।
38. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
39. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।
40. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पाद एवं घी वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल निर्धारित मूल्यों पर ही विक्रय करेगा। दूध का प्रदाय उक्त मार्ग के वितरक सह-परिवहनकर्ता के द्वारा रिटेलर दर पर किया जावेगा।
41. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
42. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीय पक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीय पक्ष जवाबदेह होगा।
43. द्वितीय पक्ष के कार्य की समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
44. फ़ैक्ट्री गेट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
45. संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
46. फ़ैक्ट्री गेट पार्लर की निविदा प्रपत्र में वर्णित आवंटन प्रक्रिया की समान शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शर्त प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।
47. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ ली हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

दिनांक : .....

**गवाह : -**

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर -  
नाम -  
पता -

1. प्रथम पक्षकार

2. हस्ताक्षर -  
नाम -  
पता -

2. द्वितीय पक्षकार

## जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री ..... आयु.....  
..... मे है कि, कार्यालय ..... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .....  
..... आयु ..... निवासी .....  
... के बीच आज दिनांक .....को पार्लर/बूथ अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत  
यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये ..... तक के नुकसान की  
जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार  
स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने  
के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के  
जमानत बतौर मैंने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाहा :  
हस्ताक्षर  
नाम.....  
पता.....  
मोबाइल.....

जमानतदार:  
हस्ताक्षर  
नाम.....  
पता.....  
मोबाइल.....

गवाहा :  
हस्ताक्षर  
नाम.....  
पता.....  
मोबाइल.....

## जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व ..... आत्मज श्री ..... आयु.....  
..... मे है कि, कार्यालय ..... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .....  
..... आयु ..... निवासी .....  
.... के बीच आज दिनांक .....को पार्लर/बूथ अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत  
यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये ..... तक के नुकसान की  
जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार  
स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने  
के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के  
जमानत बतौर मैंने आज दिनांक ..... को लिख दिया है।

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदार:

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....